

लोकसभा में नए वधियक

दो नए वधियक- प्रतस्पर्द्धा (संशोधन) वधियक, 2022 और नई दलिली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (संशोधन) वधियक लोकसभा में पेश किये गए।

प्रतस्पर्द्धा (संशोधन) वधियक 2022:

- **परचिय:**
 - यह **भारतीय प्रतस्पर्द्धा आयोग (CCI)** की संरचना को बदलने का प्रयास करता है।
 - यह वर्तमान बाजारों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये CCI को अनुमति देने का प्रावधान करता है।
 - इसमें CCI के संयोजनों को अधिसूचित करने के मानदंड के रूप में 'लेन-देन का मूल्य' रखने के प्रावधान भी हैं।
- **अन्य प्रस्तावति संशोधन:**
 - CCI के समक्ष प्रतस्पर्द्धा वरीधी समझौतों और प्रमुख स्थिति के दुरुपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिये तीन वर्ष की सीमा अवधि निश्चित की गई।
 - स्पष्टता प्रदान करने के लिये 'उद्यम', 'प्रासंगिक उत्पाद बाजार', 'समूह' और 'नयितरण' जैसी कुछ परभाषाओं में परिवर्तन।
- **वशिषताएँ:**
 - प्रतस्पर्द्धा-वरीधी समझौतों को व्यापक बनाना।
 - वलिय और अधग्रहण (M&A) को त्वरति मंजूरी।
 - जाँच के दौरान जानकारी साझा करने के इच्छुक पक्षों के लिये दंड को कम करना।
 - मुकदमेबाज़ी में कमी।

भारतीय प्रतस्पर्द्धा आयोग:

- **परचिय:**
 - **भारतीय प्रतस्पर्द्धा आयोग** एक सांघिक निकाय है जो प्रतस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 के उद्देश्यों को लागू करने के लिये ज़िम्मेदार है। इसका वधिवित गठन मार्च 2009 में किया गया था।
 - **राघवन समिति** की सफारिशों पर **एकाधिकार और प्रतर्बिधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 (MRTP अधिनियम)** को नरिसूत कर इसे **प्रतस्पर्द्धा अधिनियम, 2002** द्वारा **प्रतस्पर्द्धा किया गया।**
- **उद्देश्य:**
 - **भारतीय प्रतस्पर्द्धा आयोग (CCI)** एक प्रतस्पर्द्धा नियामक और छोटे संगठनों के लिये एक प्रहरी है, जिसका उद्देश्य प्रतस्पर्द्धा पर प्रतर्कूल प्रभाव डालने वाले अभ्यासों को समाप्त करना, प्रतस्पर्द्धा को बढ़ावा देना और उसे जारी रखना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना तथा भारतीय बाजारों में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है।
- **गठन:**
 - प्रतस्पर्द्धा अधिनियम के अनुसार, आयोग में एक अध्यक्ष और छह सदस्य होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।
 - आयोग एक **अर्द्ध-न्यायिक निकाय (Quasi-Judicial Body)** है जो सांघिक प्राधिकरणों को परामर्श देने के साथ-साथ अन्य मामलों को भी संबोधित करता है। इसके **अध्यक्ष और अन्य सदस्य पूर्णकालिक** होते हैं।

नई दलिली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (संशोधन) वधियक:

- **नई दलिली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (NDIAC)** मध्यस्थता और सुलह की कार्यवाही करने के लिये नई दलिली में स्थिति स्वायत्त संस्थान है।
- यह वर्ष 2019 में स्थापति किया गया था और संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान के रूप में घोषित किया गया था।
 - कानून मंत्री द्वारा नई दलिली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (संशोधन) वधियक का नाम बदलकर इसे भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र करने हेतु पेश किया गया था।

स्रोत: द हट्टि

